

19/9/25 पत्रावली प्रार्थी के निवेदन पर तलब की गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि गत पेशी पर दिगर प्रशासनिक कार्यों में अति-ब्यस्तता के कारण श्री न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया, जबकि प्रकरण में राज्य हित होने के कारण प्रकरण को पुनः बरामद किया जावे। हमने प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण विप्रार्थी की तलबी स्तर पर खारिज किया गया है। न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन पुनः बरामद किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.9.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली वास्ते- विप्रार्थी की तलबी दिनांक 06.10.2025 को पेश हो

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा